[Shri Shyam Sunder Mohapatra]

magnificant, so majestic, so imperial. But today the colour is absolutely childish. I do not know whose brain-wave it was, who the artist was, who the connoisseur was, of that art, and the entire expenditure has been made on experimentation, how to change the facade of the hotel, its colour, and so on. Experiments have been made twice in the year. So I would request the Government not to indulge in such futile exercise of personal vision. It may be very subjective, not objective at all. It takes away so much of the poor man's money. Don't allow such wastage in such costly hotels.

MESSAGE FROM THE LOK SABHA

The Terrorist Affected Areas (Special Courts) Bill, 1984

SECRETARY-GENERAL: Sir, I have to report to the House the following message received from the Lok Sabha signed by the Secretary-General of the Lok Sabha:

"In accordance with the provisions of Rule 96 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha, I am directed to enclose the Terrorist Affected Areas (Special Courts) Bill, 1984, as passed by Lok Sabha at its sitting held on the 16th August, 1984."

Sir, I lay the Bill on the Table.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mr Chaturanan Mishra, not here. Next, Shri Satya Prakash Malaviya.

THE RESERVATION OF VACANCIES IN POSTS AND SERVICES (FOR SCHEDULED CASTES AND SCHEDULED TRIBES) BILL, 1984

श्री सत्याप्रकाश मालवीय : श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं —

कि भारत सरकार और केन्द्रीय सरकार की अन्य स्थापनाओं के अधीन पदों और सेवाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के पर्याप्त प्रतिनिधित्व का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुर: स्थापित करने की अनुमति दी जाए ।

THE RURAL LABOUR WELFARE FUND BILL, 1980—(Contd.)

SHRI BISWA GOSWAMI (Assam): Mr. Deputy Chairman. I was mentioning on the last occasion that the number of agricultural labourers is on the increase year after year. My colleague, Mr. Dhabe, already said that the number had increased from 13.5 million in 1961 to 65.4 million in 1981. The Sixth Five Year Plan document itself said on page 51:

"The majority of the poor in the rural areas belongs to the categories of landless labourers, small and marginal farmers, rural artisans, including fishermen and backward classes and backward tribes. These people have either no assets or assets with very low productivity, few relevant schemes and no full-time jobs or low-paid jobs."

This is their position today. The IRDP and National Rural Employment Programme have totally failed to improve their situation. After successive Five Year Plans the problem of rural poor has remained unresolved.

In our country 3.9 per cent landlords own 30 per cent of the land and nearly 70 per cent farmers belong to the small or marginal class. They account for nearly one-fourth of the total cultivated area. Their average holding is less than two hectres. India occupies 84th position from the top in regard to percentage of people having access to safe, drinking water. It occupies the 33rd position out of 112 countries in regard to continuation of the obnoxious practice of carrying

night soil as head-loads. Rural indebtedness has increased from 44.5 per cent in 1950-51 to 66 per cent in 1974-75. The percentage of the landless which was 9 per cent in 1950 has increased to 30 per cent in 1982.

We have seen atrocity on Harijans being perpetrated and these Harijans are all landless agricultural labour. Whenever they demand implementation of minimum wages, they are either beaten up or butchered and their houses are set on fire.

Their minimum wage today has been fixed at Rs. 10 per day. It is very meagre. When they are living in such wretched conditions, no effort has been made to improve the conditions of the agricultural labour, with the result they are today the most neglected section in the country. We have seen that the condition of the rural poor is becoming day by day worse.

We have got certain laws so far as industrial workers are concerned. We have certain welfare schemes for industrial workers. It is quite essential that we should do something at least for the rural poor. Even if we cannot solve their problem altogether, at least we can introduce certain welfare measures. This Bill has been brought forward by my Hon'ble colleague, Shri Dhabe, to give an opportunity to the Government to pass this piece of legislation for introduction of welfare measures for the benefit of the rural poor.

Some of the members of the Congress Party have said that this Bill will not be sufficient to solve the problem of the rural poor. It is true. But at least something could be done. Let there be a beginning in this direction. From that point of view this Bill will go a long way at least to give certain welfare facilities for the rural poor who are today in a very bad condition.

My colleague, Shri Ramanand Yadav, said the other day that in Bihar land has been distributed to the landless people. I doubt very much because I know land reform measures have not been implemented. After the abolition of zamindari system, today the landlords have occupied the position of zamindars. That being so, I do not know how my friend, Shri Yadav, could claim that landless problem in Bihar has been solved. And, Sir, the problems in Bihar, the problems of the landless people in Bihar, are becoming acute and are becoming more and more acute day by day. Sir, I come from Assam and I know what happened there during the Emergency. During the Emergency, there was a show of distribution of land to the landless people and the landless people got some chit of paper only from the then Chief Minister. They did not get any land. There was only a show of distribution of land to the landless people. I think similar is the case in Bihar also. Today, land reform measures have to be taken. It has been admitted, even our Plan document has said, that land reform measures should be introduced and the land reform measures are yet to be undertaken.

The most important thing is that besides passing this Bill moved by my colleague, Shri S. W. Dhabe, which will give certain welfare amenities to the rural poor, we should go in for total land reform measures. Unless you go in for total land reform measures, the condition of the rural poor will not improve at all.

Sir, it is a fact that the agricultural labour and the rural poor are the most unorganised people, theirs is the most unorganised sector, today. Even those who are engaged in trade union activities have failed to organise this unorganised labour force which is a very big force and because they are not organised, they are not getting any benefit whatsoever. Therefore, Sir, it is very essential that we should have some sort of a legislation so that some welfare measure can be undertaken for these people.

[Shri Biswa Goswami]

It has been said by some honourable Members on the other side that the 20-Point Programme is sufficient to solve these problems. But the question is this: This Bill has been brought forward only to give certain welfare amenities, certain facilities, such as drinking water facilities, hospital facilities and similar facilities, for which measures are to be introduced. This is the intention of the Bill. The industrial labour in this country, which are organised today, are already getting these facilities under certain laws. Therefore, it is not proper to say that no such legislation is necessary for the rural poor.

Sir, because this is a Bill which is a most non-controversial Bill and because of the fact that the Congress (I) Members also have supported the main principle behind this Bill, I hope the honourable Minister will accept this Bill. At least, Sir, it will be a beginning for doing something for the welfare of the rural poor who are in large numbers, who are living below the poverty line and who are undergoing untold misery and distress.

With these words, Sir, I support this Bill.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Kailash Pati Mishra. Not here. Yes, Mr. Hukmdeo Narayan Yadav.

श्री हुक्मदेव नारायण यादव (बिहार) : उपसभापति महोदय, माननीय सदस्य धाबे जी ने सदन के सामने जिस विधेयक को रखा है यह हिन्दुस्तान के ऐसे करोड़ों लोगों से सम्बन्धित है जो निराश है, निराश्रित हैं और जिनके जीवन में आशा की कोई किरण ही शेष नहीं है । उनका ऐसा जीवन आज से नहीं करोडों वर्ष से पुश्त-दर-पुश्त से बना हुआ है पसीना बहाते चलो, कमाते चलो लेकिन कभी पेट भर अन्न नहीं मिलेगा तन-भर वस्त्र नहीं मिलेगा, सोने को मकान नहीं मिलेगा। उनकी झोंपड़ियों में अगर चलें तो आदमी की लम्बाई साढ़े तीन हाथ है उनके घर में जितने लोग बसते हैं प्रति व्यक्ति अगर उनके घर की जमीन का माप किया जाए तो एक व्यक्ति के ऊपर साढ़े तीन हाथ जमीन भी सोने को उपलब्ध नहीं होगी उनकी झोंपड़ियों में । गोदाम के अन्दर बोरा भी रखा जाता है तो बोरे पर बोरा रखा जाता है लेकिन इन्सान वैसे सो नहीं सकता । इस आजाद भारत में जो गांव में कमाने वाला तबका है जो मुख्य रूप से पिछड़े वर्ग के हैं, हरिजन और आदिवासी हैं, उनके लिए सोने को भी जगह नहीं है । बसने की जगह उनको आज तक मिली नहीं है जहां वे अपनी झोंपड़ियों को बनाएं जहां जमीन मिली भी किसी मालिक की जमीन पर झोंपडी बना कर बसे हुए है । कभी उनकी झोंपड़ी को उजाड़ कर के दिया जाता है उनका कोई ठिकाना नहीं है । अगर कहीं झोंपड़ी बना कर बस भी गये है तो हजारों लाखों वर्षों से उनको ऐसी कीमत चुकानी पड़ती है जो सभ्य समाज कभी उसको स्वीकार नहीं करेगा ।

उनको घर नहीं है, रहने को मकान नहीं है और कहीं किसी जमीदार की जमीन पर मकान बनाकर रह गये तो उनको इन्सान नहीं जानवर से बदतर माना जाता है और उनके घर की औरतों को इन्सान माना ही नहीं जाता है । उनके घर की औरतों के साथ ऐसे दुर्व्यवहार आज भी हो रहे हैं जैसे किसी सभ्य समाज में अनुमान नहीं किये जा सकते है । ऐसा जो समाज का शोषित और उपेक्षित वर्ग है और हिंदुस्तान में जिनकी आबादी सबसे ज्यादा है, कोई कम नहीं है, ऐसे शोषित समाज के लिए ऐसे शोषित वर्ग के लिए हिंदुस्तान में आज तक सोचने का कुछ काम नहीं किया गया है और उनके बारे में कुछ नहीं सोचा गया है ।

जो संगठित मजदूर हैं, इंडस्ट्रीज में काम करने वाले हैं; कारखाने में काम करने वाले हैं या सरकारी मुलाजिम हैं, सरकारी दफ्तर में काम करने वाले हैं तो ये जो पढ़े लिखे तबके के लोग हैं ये स्ट्राइक करते हैं, हड़ताल करते हैं, आंदोलन करते हैं, बंद करते हैं और सरकार को मजबूर करके लेते हैं। इनका नारा होता है कि चाहे जो मजबूरी हो मेरी मांगे पूरी हों। यह जो मजदूर नौकरशाही है या मजदूर क्लास के लोग हैं वे सीधे कहते हैं कि चाहे जो मजबूरी हो मेरी मांगे पूरी हों। लेकिन दूसरी तरफ हिंदुस्तान के करोड़ों इन्सान जो 18 घंटे तक शरीर से पसीना बहाते हैं तब भी वे भूखे अपनी झोंपड़ी में सो जाते हैं। ऐसे उन करोड़ों इन्सानों का न संगठन है न उनके लिए कोई नारा लगाने वाला है तथा न उनके लिए सरकार में कोई सोचने वाला ही है। कहां कहां से भटकते धर्मवीर जी जैसे पहुंच जाते हैं लेकिन ये स्टेट मिनिस्टर हैं करेंगे भी क्या। राज्य मंत्री होने की हैसियत से क्या करेंगे? कोई कैबिनेट स्तर तक उस समाज का मंत्री नहीं पहुंचता है उनका कोई स्थान नहीं होता। तो उनके बारे में क्या सोचा जा सकता है गांव में कहावत है :

"का दुख जाने दुखिया का, जाने दुखिया की मां
जाके पैर न पटे बिवाई, वो क्या जाने पीर पराई"

जिसके घर के लोगों को कभी दुख नहीं हुआ, जिनके मां बाप कभी भूखे नहीं रहे हैं जिनके मां बाप कभी समाज में आर्थिक और सामाजिक शोषण का शिकार नहीं हुए हैं वे दर्द को क्या जानेंगे। अंग्रेजों से जब हमको आजादी मिली तो आजाद भारत में मुझे सौभाग्य मिला कि मेरे जैसा आदमी भारत की सबसे सर्वोच्च पंचायत का सदस्य बनकर आया। लेकिन मुझे वह दिन भी याद है जब मेरे गांव में जमींदारी प्रथा थी। मेरे गांव से 14 आदमी ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ अंग्रेजी राज्य की जेलों में बंद थे, मेरे पिता जी वगैरह। मैं उस समय की कल्पना करता हूं। मेरे चाचा अपने दरवाजे पर खाट पर बैठे थे। मेरे गांव में जो जमींदार था उसने कचहरी से देख लिया मेरे चाचा को कि वह अपने दरवाजे पर खाट पर बैठा है तो इसके उपराध में उन्होंने मेरे दादा को बुलाकर कहा कि तेरे बेटे और भतीजे की इतनी हिम्मत है कि मेरे सामने दरवाजे पर खाट पर बैठे हैं। मैं उन पर जुर्माना करूंगा, सजा करूंगा। तो मुझे वह दिन भी याद है। लेकिन आज भी आजाद भारत में क्या उससे मुक्ति मिली है। मैंने एक बार नहीं अनेकों बार कहा है। श्री धर्मवीर जी के श्रम मंत्रालय की जो संसदीय सलाहकार समिति है उसमें मैंने कहा है और आज भी मांग करता हूं कि संसद की एक समिति बने और संसद की समिति न बने तो हिंदुस्तान के पढ़े लिखे लोग जिनके हाथ में लेखनी है और जो अपने को पत्रकार तथा बुद्धिजीवी कहते हैं लेकिन मैं बुद्धिजीवी नहीं कहता, मैं तो कभी कभी गुस्से में आकर, गांव में रहने वाला किसान का बेटा कहता हूं कि ये बुद्धिजीवी नहीं, भ्रष्टजीवी हैं, अगर ये बुद्धिजीवी होते तो उनका ध्यान इस ओर आकृष्ट होता, ये चलें और औरंगाबाद, गया, नवादा, बेगुसराय, पटना, भोजपुर-रोहतास में देखें कि वहां सूर्यास्त होने के बाद घर से उठा उठा करके गरीबों के हरिजनों के बेटों को खींचकर उनके सीने पर गोली दागी है जाती है और कहा जाता है कि ये नक्सलाइट है। इनकाउंटर के नाम पर उनको मारा जाता है, फर्जी मुठभेड़

[श्री हुक्मदेव नारायण यादव]

के नाम पर मारा जाता है। क्यों मारा जाता है? उनका कोई अपराध नहीं है। उनका अपराध इतना ही है कि वे कहते हैं कि मैं गरीब का बेटा जरूर हूं लेकिन आजाद भारत में सभी मनुष्यों को बराबरी का दर्जा है तो मुझे भी सम्मान के साथ जीने का अधिकार है। हमें भी उचित मजदूरी मिलने का हक है। हमें भी अपने पसीने की कीमत पाने का हक है और हमें भी समाज में सम्मान के साथ जीने का हक है। लेकिन इस रूढ़िवादी, प्राचीन सामंतवादी व्यवस्था में आज भी झोंपड़ी में बसने वाले करोड़ों लोगों को सम्मान के साथ जीने का हक नहीं दिया जाता उनकी बहू बेटियों के साथ खिलवाड़ और छेड़खानी करते हैं। उनकी नौजवान बेटियों के साथ बलात्कार करते हैं। मुझे याद है रोहतास का वह अनोखा मर्डर केस जो बिहार में अपने आप में एक नामी केस बना था। सोए हुए पुरुषों और बच्चों को तलवार से कत्ल कर दिया गया था और उसका अपराधी गयाराय हाईकोर्ट से सजावार कैदी टी० बी० का पेशंट बनकर सजा भुगतने से पहले ही जेल से रिहा हो गया था। और जेल से रिहा होने के बाद एक अहीर की बेटी मुन्नी देवी जिसका पति लेने के लिए आया हुआ था द्वारागमन के दिन, अपनी भैंस के लिए थोड़ा

3 P.M. धान काटने के लिए गई हुई थी और गया राय का बेटा उस लड़की के साथ बलात्कार करना चाहता था। उस लड़की ने हिम्मत के साथ मुकाबला किया। जब बलात्कारी ने देखा कि बलात्कार करने में वह अक्षम है, तो घास काटने वाले हसुआ से उस लड़की की दोनों बाहें पैर और गले को काट करके खेत में फैंक दिया गया। लेकिन यह अपराधी घूमते रहे, बचे रहे।

आज भी भोजपुर के अंदर बिहार के इलाके के अंदर जिनको नक्सलपंथी कहा जाता है और जिनके उपर इस तरह के सामाजिक और आर्थिक अत्याचार होते चले जा रहे हैं। मैं मांग करता हूं कि सदन के अंदर से एक उच्चस्तरीय समिति बने और आप चल कर के देखें कि आजाद भारत में क्या हो रहा है? इसका क्या कारण है?

माननीय रामानन्द यादव जी बोल रहे थे, जिस समय वह बोल रहे थे--मैं तो उनको बाहर भी कहता हूं, भीतर भी कहता हूं, माननीय धर्मबीर जी से भी कहता हूं कि आपके दिल के अंदर जो पीड़ा है, हुक्मदेव नारायण यादव के दिल के अंदर भी वही पीड़ा है। आपकी सरकार करना भी चाहती है, प्रधान मंत्री के बीस-सूत्री कार्यक्रम हैं। जब मैं देखता हूं तो मुझे आशा और उत्साह लगता है कि प्रधान मंत्री के बीस-सूत्री कार्यक्रम को अगर अमल में लाया जाए, तो हिंदुस्तान में गरीबों को कुछ मिल सकता है। लेकिन करेगा कौन? वही सामंतवादी चरित्रवाला, राजनीतिक जमात, वहीं सामंतवादी चरित्र वाला नौकरशाह, जिसने हिन्दुस्तान के गरीबों को लूटने का काम किया है।

प्रधान मंत्री के दिल में उन गरीबों के लिए भले ही दर्द हो, लेकिन जिस घोड़े पर चढ़कर वह हिन्दुस्तान की इस सामंतवादी व्यवस्था को फतह करना चाहती है, उस घोड़े की चाल ही खराब है। वह घोड़ा ही प्रधान मंत्री को न जाने समुद्र में कहां ले जा कर के डुबो देगा और न जाने किस एवरेस्ट की चोटी से उठाकर गिरा देगा, इसका कोई ठिकाना नहीं है क्योंकि हिन्दुस्तान में वर्ण और वर्ग व्यवस्था के अंदर जन्मे हुए, पले हुए, पनपे हुए, हिन्दुस्तान के

वही बड़े लोग जो नौकरशाहों के ऊपर में आसीन हैं, वही बड़े लोग जिनके हाथ में राजनीति है--भाई कर्पूरी राय और हम कहा करते थे, डा० लोहिया की उस जाति प्रथा को, जिसमें डा० लोहिया ने कहा कि हिन्दुस्तान को राजनीति और प्रशासन पर हिन्दुस्तान के मुट्ठी भर द्विजों का हाथ है, हिन्दुस्तान के सभी राजनीतिक दलों का संचालन उन्हीं द्विजों के द्वारा हो रहा है। आपस में कहीं न कहीं उनमें तालमेल होता है, जिसके कारण हिन्दुस्तान में कोई क्रान्तिकारी परिवर्तन हो नहीं पाता। चाहे कोई हो, विरोधी दल हो, या सत्ताधारी दल हो, मैं इसमें किसी को बख्शने वाला नहीं हूं क्योंकि जब इनके सवाल आते हैं, तो उनसे दूर हट कर के सोचना पड़ता है। कौन हैं सभी दल के प्रधानों में से नजर उठा कर देखें कि हिन्दुस्तान के सभी दलों के प्रधान कौन हैं ? इनके हाथ में उस दल का नेतृत्व है ? इसलिए मैंने कहा था---

जाके पैर फटे न बिवाई,
वह क्या जाने पीर पराई।

अफसोस, चौधरी चरण सिंह के विचारों से हमारे बहुत से साथी सहमत हों या नहीं हों, लेकिन चौधरी चरण सिंह जी को मैंने इसलिए माना कि उनका जन्म भी एक किसान के घर में हुआ था, एक गांव की झोंपड़ी में हुआ था। बड़ी जाति के तो आप भी हो, लेकिन हमारा, आपका तो नारा था कि--

ऊंच जाति की क्या पहचान,
गिट-पिट बोले, करे ना काम।
छोटी जाति की क्या पहचान,
करे मेहनत, पावे अपमान।

कोई ब्राह्मणी के पेट से पैदा होता है, इसीलिए कोई ऊंचा नहीं हो जाता है। हम तो उसके दिल को देखना चाहते हैं कि उनके दिल अंदर क्या जजबात हैं, उनके दिल के अंदर क्या आग है। परिवर्तन के लिए भूमि सुधार कानून को कहते हैं आप। मुझे दर्द है कांग्रेस ने बड़ी मजबूती के साथ भूमि सुधार लागू करने का काम किया। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 9 जुलाई, 1976 को 43,97,500 एकड़ अतिरिक्त भूमि का अनुमान लगाया गया था, लेकिन केवल 20,25,600 एकड़ भूमि ही अतिरिक्त घोषित की गई। इसमें से भी केवल 10,22,000 एकड़ भूमि को सरकार ने अपने हाथ में लिया। इस भूमि में से भी 6,94,500 एकड़ भूमि, 3,54,000 व्यक्तियों को वितरित की गई। भूमि पाने वालों में 1,62,000 आदमी अनुसूचित जाति तथा आदिम जाति के थे जिनको कुल मिला कर 1,97,900 एकड़ भूमि निकली।

कहां लक्ष्य रखा था 43,97,500 एकड़ और कहां निकली 6,94,500 एकड़ भूमि।

"खोदा पहाड़, निकली चुहिया"। कहां से जमीन निकालोगे ? कौन है, जो जमीन को निकाल सकता है। मैं बिहार में चुनौती देकर कह सकता हूं कि कोई माई का लाल पैदा हुआ है ? पुरानी कथाओं में है कि हिरण्याक्ष नाम का एक राक्षस पैदा हुआ था, जो भूमि को चुराकर पाताल में चला गया था, जमीन को अपने सिरहाने रख कर सो गया था। तो वराह भगवान का अवतार हुआ था जिसने भूमि को निकाला था। आज ऐसे भूमि चोर अनेक हैं बिहार के अंदर, बाप-बेटा दलाल, बैल का दाम बारह आने....बीस हजार बीघे जमीन के मालिक पूर्णिया के बाबू अमोल सिंह के दामाद आई० ए० एस०, नाती आई० ए० एस० नातिनी आई० ए० एस०, दामाद आई० ए० एस०, बेटी एम० पी०, समन्धी

[श्री हुक्मदेव नारायण यादव]

एम० पी०, समधिनि एम० पी०, कहां जायेंगे, कहाँ जायेंगे। हजार एकड़ जमीन जोतेगा, वहीं कलैक्टर, वही कमिश्नर वही मिनिस्टर। गरीब की झोंपड़ी पर अगर अन्याय होता है, अगर अत्याचार होता है तो वह दौड़ कर कहां जायेगा? कहां जायेगा? हर आदमी दौड़ कर इंदिरा गांधी जी के पास नहीं आता, श्रीमती इंदिरा गांधी को हाथ मिलाने के लिए, सब से मिलने की फुरसत भी कहां है। अगर चलेगा तो पटना में रोक दिया जाएगा। पटना से घुसकते-घुसकते आयेगा तो दिल्ली में कहीं न कहीं रोक दिया जायेगा फटकार दे दी जायेगी। कागज के अन्दर अधिकार दबे हुए रह जायेंगे। उन गरीबों के लिए सोचने वाला कौन है? इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूं कि निरन्तर आपने भूमि पर भार बढ़ाने का काम किया है और खेतिहर मजदूरों की संख्या बढ़ाने का काम किया है। 1881 की जनगणना के मुताबिक जब देश में अंग्रेजों का राज था, उस समय कृषि में लगे हुए लोगों की संख्या थी 50.7 फीसदी और 1951 में वह संख्या हो गई 59.1 फीसदी और 1971 में 69.7 फीसदी हो गई। 1881 में में अंग्रेजों के समय में जहां उद्योग में लगे हुए लोगों के संख्या 36.3 फीसदी थी वहां 1951 में 13.6 फीसदी हो गई। कहने का मतलब है कि उद्योग पर से बोझ घटता गया, खेती पर बोझ बढ़ता गया। लोग कमजोर होते चले गए, खेती पर भार बढ़ता चला गया। उनके हाथों से कारोबार छिन कर चले गए। कभी रंग देने का काम, रंगरेज का काम, कपड़ा का काम, बुनने का काम, रंगने का काम, लोहार का काम, लकड़ी का काम, जूता का काम, चप्पल का काम, चमड़ा का काम, हमारे गांव के अन्दर मजदूर करते थे। उनके परिवारों की रोजी रोटी चलती थी। मैं यह नहीं कहता कि हिंदुस्तान के गांवों में बसने वाले जितने चमार है, उनके हाथ में चमड़े का कारोबार है उसी पेशे को वे करते रहें, लेकिन यह भी नहीं चाहता कि हिन्दुस्तान के करोड़ों चमड़े के कारोबार को मोची के हाथ से छीन लो और उसको बाटा के हाथ में दे दो। करोड़ों मोची के हाथों को बेकार किया गया। एक बाटा देश में माला-माल बनता है। हिन्दुस्तान का बाटा सब से बड़ा चमार है और टाटा सब से बड़ा लोहार है। हिन्दुस्तान के करोड़ों लोहारों के हाथों से लोहे के कारोबार को छीन लिया और हिन्दुस्तान में सूइयों से ले करके जहाज बनाने का काम टाटा करेगा, लिपिस्टिक टाटा बनायेगा, पाऊडर टाटा बनायेगा, साबुन टाटा बनायेगा, रेल टाटा बनायेगा, हवागाड़ी टाटा बनायेगा, लोहे का पटड़ी टाटा बनायेगा, धोती टाटा बनायेगा, साड़ी टाटा बनायेगा और ये सभी बड़े-बड़े काम टाटा और बिड़ला के हाथ में लेकर दे दिया और हिन्दुस्तान के करोड़ों झोंपड़ियों में रहने वाले गरीबों के हाथों से रोजगार छीन लिया। गरीब जो बैकवर्ड कम्युनिटि का था, हरिजन था, आदिवासी था, जिन के ऊपर ये जुल्म होते चले आये हैं उनके हाथ से रोजगार को छीनने का आपने काम किया। खेत पर सिंचाई की व्यवस्था न रहने के कारण खेती पर जो सघनता होनी चाहिए वह सघन खेती नहीं हुई और प्रति हैक्टेयर जितने मजदूर को लगना चाहिए आज प्रति हेक्टेयर हिन्दुस्तान में उतना मजदूर लगता भी नहीं है। मैं एक-दो छोटे से उदाहरण दे करके अपनी बात लम्बी नहीं करना चाहूंगा, जापान में प्रति एक एकड़ में 81 मजदूर काम करते हैं, दक्षिण कोरिया में प्रति एक एकड़ में 79 मजदूर काम करते है, ताईवान में 75 मजदूर, मिस्र में 71 मजदूर काम

काम करते हैं, । श्रीलंका में प्रति एकड़ 49 मजदूर लगे हुए है और यहां भारत में प्रति एकड़ 36 मजदूर लगे हुए है। भारत में प्रति एकड़ सिर्फ 36 मजदूर जबकि जापान में प्रति एकड़ 81, जिस देश में खेत पर सघन खेती को काम करने में प्रति एकड़ जितने ज्यादा आदमी लगते हैं वहां उत्पादन उतना ही ज्यादा होता है और देश भी उतना मालदार होता है। जहां सिंचाई नहीं है, पानी नहीं हैं, जो खेतिहर मजदूर है, पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में, वे बाढ़ में डूब गए हैं। किसान के पास बिचड़े नहीं है। जब हमारे खेत में बिचड़े नहीं हम खेती करेंगे नहीं तो उन मजदूरों को काम कौन देगा, उनको रोजी कौन देगा और जब हमारे किसान बेकार हो जाते हैं, जब रोजी नहीं रहती, रोजी दे नही पाते तो वे मजदूर भूखे मरने लगते हैं। उस समय उन मजदूरों को रोटी देने के लिए, उनको रोजगार देने के लिए सरकार की ओर से कोई योजना है क्या ? धावे साहब ने अपने बिल में वह बात नहीं कही है जो मैं कहना चाहता हूं। मैं कहना चाहता हूं, धर्मवीर जी, इन बड़े-बड़े लोगों को, इन सरकारी सेवकों को कितने प्रकार की सबसीडि देते हैं। कुल मिलाकर सरकारी नौकरी में जो लोग लगे हुए हैं वह एक-दो नहीं, कोई 82 प्रकार की फैसिलिटी पाते हैं। वेतन और भत्ते के अलावा कुल मिलाकर 82 तरह की सुविधाएं उन्हे दी जाती हैं। तब भी उनका नारा होता है कि चाहे जो मजबूरी हो, हमारी मांग पूरी हो। हिन्दुस्तान का सारा खजाना भी इन्दिरा गांधी इन कर्मचारियों के हाथ में बांट दे तब भी इनका नारा होगा-चाहे जो मजबूरी हो, हमारी मांग पूरी हो। लेकिन करोड़ों इंसानों के लिये आपने क्या किया कोठारी-कमीशन बनाया। कोठारी कमीशन के अनुसार बीच में जो डिफरेंस रहेगा वह डिफरेंस मनी का पेमेन्ट युनिवसटी के जरिये किया जायेगा। सरकार करेगी। कालिज दिये 100 और कोठारी कमीशन कहता है 500। सरकार 400 देकर पूरा करती है। जब सरकार इतना करती है तो क्या वह मजदूरों के लिये नहीं कर सकती। हिन्दुस्तान के इन गरीबों के लिये, किसान हरिजन और पिछड़े वर्गों के लिये, खेतिहर मजदूरों के लिये नहीं कर सकती। सरकारी खजाने इन पढ़े-लिखे, तथा-कथित बुद्धिजीवी, भ्रष्टजीवी के बाप-दादा के नहीं है। हिन्दुस्तान के इन झोपड़ों में रहने वाले, पसीना बहाने वाले किसानों, मजदूरों से यह खजाना भरा जाता है। इनके रहने के लिये जगह नहीं होती, बच्चे भूखे मरते हैं, बच्चों के लिये शिक्षा का कोई इंतजाम नहीं होता, पसीना बहाते हैं और फिर भी देश में उत्पादन करने का काम करते हैं और सरकार इनको डिफरेंस नहीं दे सकती, इन मजदूरों के लिये कोई कानून नही बना सकती। आप मिनिमम मजदूरी देना चाहते हैं 8 रुपये और किसान में ताकत नहीं है, किसान को देता है चार रुपये या पांच रुपये और उसके बाद जो डिफरेंस बचता है, जो डिफरेंस मनी बचती है वह सरकार को देनी चाहिये। जब इंस्टी-ट्यूशन में काम करने वाले को सरकार डिफरेंस मनी दे सकती है तो इन किसानों को, मजदूरों को भी सरकार को देना चाहिये। जो डिफरेंस मनी बचती है तो खेतिहर मजदूरों को अगर सरकार नहीं दे सकती तो उसको कानून बनाना चाहिये। आप बनाइये कानून कि साल में तीन महीने, पांच रुपये रोज के हिसाब से प्रति खेतिहर मजदूर को मजदूरी बोनस के रूप में सरकारी खजाने से दी जायेगी। इधर-उधर करने से क्या फायदा। साल में 9 महीने अपना कमायेंगे और तीन महीने

[श्री हुकमदेव नारायण यादव]

सरकार उनको मिनिमम वेज जो भी फिक्स करती है उस हिसाब से प्रति खेतिहर मजदूर प्रति दिन के हिसाब से दे। इससे वह अपने बच्चों को पढ़ायेगा, कपड़े पहनेगा खाना खायेगा और आनन्द करेगा। लेकिन मैं जानता हूं आप उनके लिये नहीं कर सकते। उनके लिये आपके पास कुछ नहीं है। इसलिये कि उनके लिये आपके पास कोई दया नहीं है। धर्मवीर जी आप करना भी चाहेंगे तो आप कहां से करेंगे। आप करना चाहेंगे तो मैंने एक बार कहा था कि आपका लेबर डिपार्टमेंट, श्रम विभाग के जो अधिकारी लोग हैं, वे इसमें बीसों अड़चन लगायेंगे। कभी कहेंगे कि फाइनेंस डिपार्टमेंट को जायेगा, यहां जायेगा, वहां जायेगा, प्लानिंग में जायेगा, प्लानिंग के बाद यहां जायेगा, वहां जायेगा। आखिर जब तक यह होने वाला होगा तब फिर सारा मामला समाप्त हो जायेगा। कुछ होने वाला नहीं है।

मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि हमें अगर देश को बदलना है, देश में अगर परिवर्तन लाना है तो हमें उनके लिये कुछ करना होगा। जब हम खेतिहर मजदूर और किसान की बात करते हैं तो किसान और खेतिहर मजदूर के बीच में कोई ऐसी बारीकी विभाजन की रेखा नहीं खींची जा सकती जो इनको अलग कर दे। वही आदमी किसान भी है जब वह अपना खेत जोतता है और जब वह दूसरे का खेत जोतता है तो मजदूर है। वह सीमान्त और लघु किसान है। वह किसान ही नहीं है वह खेतिहर मजदूर भी है। वह किसान भी बनता है और मजदूर भी बनता है, दोनों साथ-साथ चलते हैं। जब किसान की बात करता हूं तो लोग कहते हैं किसान की बात करने वाले चौधरी चरण सिंह और उनका दल लोकदल के सामन्तों का समर्थक है, इन्होंने किसानों के बारे में कृषि गणना की। 1961-62 में तो उसके मुताबिक एक हैक्टेयर से कम जमीन जोतने वालों की संख्या 39.1 फीसदी है।

संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय): आप सही बात बोलिये। चौधरी चरण सिंह किसानों के दुश्मन... (व्यवधान)

श्री हुकमदेव नारायण यादव: 12 हेक्टेयर से अधिक जमीन जोतने वाले देश में एक फीसदी लोग हैं। उपसभापति महोदय, 12 हेक्टेयर माने 30 एकड़। 30 एकड़ से ज्यादा जोतने वाले लोगों की संख्या एक फीसदी है और एक हेक्टेयर से कम जमीन जोतने वालों की संख्या 39.1 फीसदी है। हम उस एक फीसदी के पक्षधर नहीं हैं। हम उनके हिमायती नहीं हैं। हम चाहते हैं कि उनकी जमीन लो। जो जमीन को जोते, बोये वही जमीन का मालिक होवे। कल्पनाथ राय जी आपको याद होगा कि हम लाठी खाते, नारा लगाते जेल जाते थे। जो जमीन जोते, जमीन बोवे वह जमीन का मालिक होवे। खायेगा, रे खायेगा कमाने वाला खायेगा। जायेगा, रे जायेगा लूटने वाला जायेगा। आयेगा रे आयेगा नया जमाना आयेगा। कब आयेगा? कहां से यह सूरज फटेगा जिस दिन पसीने को कीमत होगा और नया जमाना आयेगा, लूटने वाला जायेगा, कमाने वाला खायेगा। गांव में आज भी हमारे मजदूर कहते हैं कमाये लंगोटी वाला और मौज उड़ाये धोती वाला। लंगोटी वाला कमाता है, पसीना बहाता है और

लंबी धोती, लंबा कुर्ता, मोटी-मोटी देह, डेढ़ क्विन्टल का आदमी, 30 किलो का गद्दा, एयरकंडीशन्ड कमरा, जाड़े में गरम, गरमी में ठंडा, कहीं हवा न लगे। कहीं जर्किंग न पड़े, रेल पर भी चलो तो उसके नरम स्प्रिंग से जर्क लगे तो जर्किंग लाउंस भी पाओ। हम विधायक, एम० पी० एम० एल० ए० ट्रेवलिंग करते हैं तो क्या जर्किंग एलाउंस नहीं पाते ? सरकारी अफसर जो पांच सितारा होटलों में सोते हैं उनको क्या जर्किंग एलाउंस नहीं मिलता। एक हम हैं, समाज के सुविधा-भोगी वर्ग जो नरमदार गद्दे पर सोता है और राजधानी एक्सप्रेस के नरम-नरम स्प्रिंगों पर सोयी हुई उनकी देह हिचकोले खाती है और उस में भी जो उनको कष्ट होता है उस के लिए उन को जर्किंग एलाउंस मिलता है। और दूसरा वर्ग है समाज का जो 18 घंटे अपने शरीर का पसीना बहाता है। उनकी पत्नी नहाने को जाती है और लौटकर आती है तो उस की धोती पानी में भींग जाती है, घर में दूसरी धोती नहीं होती जिसको बदल कर वह भीगे कपड़े बदल सके। उसके शरीर से गन्ध और बदबू निकलती रहती है। आज भी हिन्दुस्तान के समाज में ऐसे इनसान जिन्दा हैं। डा० लोहिया ने लिखा है—भाई कल्पनाथ जी आपने पढ़ा होगा—कि वे अपने गरीब मित्र से मिलने के लिए गए। उसकी पत्नी घर में बैठी थी। डा० लोहिया ने बार-बार कहा, मैं तेरे घर को देखूंगा। उसने कहा घर में मत जाओ। डा० लोहिया ने कहा, तुम मेरे साथी हो, मैं तेरे घर को देखूंगा, कैसे बर्तन हैं, कैसा अनाज है, बच्चे कैसे हैं? वह रो पड़ा। डा० लोहिया ने कहा, रोते क्यों हो ? उसने कहा, इस घर में मेरी बीबी है। डा० लोहिया ने कहा, बीबी है तो क्या हुआ, मैं उस से भी मिलूंगा। उसने कहा मेरी बीबी नंगी है, उसके पास कोई दूसरी धोती नहीं है कि नहाकर बदल ले। वह कमरे में तहमत लगाये बैठी है कि धोती सूख जाये तो पहन ले। आज भी हिन्दुस्तान की झोपड़ियों में बसने वाली करोड़ों गरीबिनी माएं हैं जिनके बेटे 18 घंटे खेतों में काम करते हैं, पसीना बहाते हैं। आज हिन्दुस्तान की झोपड़ियों में बसने वाली करोड़ों माताओं के तन पर बदलने के लिए दूसरी धोती नहीं है। हिन्दुस्तान की झोपड़ियों में करोड़ों माताएं नंगी सोती हैं। और हम और आप हैं कि इस संसद् में बैठ कर नारे लगाते हैं नया हिन्दुस्तान बन रहा है। एशियाड के खेल हम खिलाते चल रहे हैं। उन से हिन्दुस्तान का सिर बहुत ऊंचा उठ रहा है, एवरेस्ट की चोटी से भी ऊंचा उठ रहा है। लेकिन उन झोपड़ियों में जो करोड़ों माताएं नंगी सोती हैं उन के दर्द को कौन समझेगा। समझोगे तो धर्मवीर जी आप समझ सकते हैं, यादव जी समझ सकते हैं, लेकिन समझने की क्षमता ही नहीं रह गई है। हमारे बिहार में तो समझने वाला कोई नहीं है। इस सरकार का जो मंत्रिमंडल है उस में तो हमारे बिहार के गरीबों के दर्द को समझने वाला कोई नहीं है। माफ करिएगा बालेश्वर राम हटा दिए जायेंगे, कमला कुमारी हटा दी जाएगी, सीता राम जी हटा दिए जायेंगे। लेकिन ठाकुर, ब्राह्मण हटेगा तो पटना आयेगा, पटना से हटेगा तो दिल्ली आयेगा। हम लात-जूता खातू हजारों वर्षों से रहे हैं। तुम दिल्ली में जूता मारो, पटना में जूता मारो, लखनऊ में जूता मारो, हमारी आवाज को सुनने वाला कौन है। बालेश्वर राम हटेंगे तो उन के बदले कोई हरिजन पटना से नई दिल्ली नहीं आयेगा। कमला कुमारी हटेंगी तो दिल्ली से पटना नहीं होगा। लेकिन यहां से कोई पंडित, ठाकुर हटेगा तो दिल्ली से पटना पहुंच

[श्री हुकमदेव नारायण यादव]

जायेगा, पटना से दिल्ली चला आयेगा। दिल्ली से पटना, दिल्ली से लखनऊ उनकी राजधानी एक्सप्रेस सीधी चलती है। हमारे बाप-दादा ने तो कभी राजधानी एक्सप्रेस को देखा तक नहीं। हमारे लिए तो सेकिंड क्लास के टू-टायर में भी चलना असम्भव है। (व्यवधान) यादव, जी, बोलिए मत। दिल के दर्द को कैसे छिपा पाओगे। इस लिए मैं कहना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान की झोपड़ियों में बसने वाले करोड़ों लोग जमीन जोतने वाले लोग हैं। एक हेक्टेयर से कम जोतने वाले लोग 39.1 प्रतिशत हैं, 1 से तीन हेक्टेयर वाले 35.4 हैं और 5 से 10 के बीच 12.0 और 12 हेक्टेयर से ऊपर एक फीसदी आदमी जमीन जोतने वाले हैं और इन एक फीसदी किसान का मैं घोर विरोधी हूं। समाजवादी होने के नाते मैं चाहता हूं कि जमीन को खींचो। उन से जमीन को निकालो। जैसे हो वैसे निकालो। कब्जा करो, बंदूक का इस्तेमाल करना हो तो उन के लिये करो। अमृतसर के गुरुद्वारे में जैसे समाजविरोधी तत्वों से निपटने के लिये पलटन को सहारा लेते हो उसी तरह से देश की जमीन पर जो महिषासुर की तरह से कब्जा किये हुए है, क्या उन से जमीन को आप नहीं ले सकते हो? क्या उन के लिये कोई पलटन नहीं है, कोई पुलिस नहीं है, कोई कानून नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है? उस के लिये आप के पास कोई पलटन, कोई कानून, कोई व्यवस्था नहीं है। इस लिये मैं आप से प्रार्थना करता हूं कि माननीय धाबे साहब ने जो यह बिल पेश किया है, यह जो कानून हमारे सामने रखा है उस की इन बातों पर जरा गौर करो, विचार करो और चिंतन करो। देश में अगर परिवर्तन लाना है तो आप को सोचना है।

अंतिम बात कह कर मैं समाप्त करूंगा। किसान और मजदूरों का विवाद उठाया जाता है। उस के अंदर पूंजीपति बिरला, टाटा और डालमियां का राज छिपा हुआ है। वह चाहते हैं कि देश के अंदर किसान और मजदूरों का झगड़ा पैदा कर के रखो जिससे बिरला और टाटा की अपार संपत्ति की ओर उन की दृष्टि न जाने पाये। दिल्ली की गगनचुम्बी अट्टालिकाओं में बैठ कर रंगरेलियां मनाने वाले लोगों की और देश की झोपड़ियों में बैठने वाले गरीबों की नजर न पहुंचे। इस लिये उन की नजर को डाइवर्ट करो किसान और मजदूर का झगड़ा उठा कर और इस लिये देश में झगड़े खड़े किये जाते हैं मजदूर और किसान के। भारत सरकार से मैं मांग करता हूं कि धाबे साहब का यह बिल संपूर्ण बिल नहीं है। इस से भी व्यापक बिल आप लाइये, गांवों में बसने वाले कृषक और मजदूरों के जीवनोत्थान के लिये एक हाई पावर कमीशन की स्थापना हो और उस में मजदूर और किसानों के बीच काम करने वाले लोग बैठें। ऐसे लोगों को उस कमीशन में रखा जाय और एक आयोग बना कर व्यापक आधार पर देश में चिंतन करो, सर्वे करो और उस के आधार पर एक व्यापक कानून लाओ ताकि देश के बरसों से शोषित, पीड़ित, दलित करोड़ों इंसानों के झोपड़ों में भी एक आशा की चिनगारी जल सके और उन्हें भी आजाद भारत की रोशनी दिखाई पड़े जिस से वे समझें कि यह देश हमारा है, यह लोकतंत्र हमारा है, यह संसद् हमारी है, यह सरकार हमारी है। वह भी इस बात को समझ सकें। इन शब्दों के साथ मैं धाबे साहब के विधेयक का समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि सरकार इस का पूरी ताकत से समर्थन करेगी। यह

तो आप के बीस सूत्री कार्यक्रम को पूरा करने वाला है। यह तो उन्होंने आपका ही काम कर दिया। यह तो उस का ही एक अंग है। अगर आप इसको पूरा कर देंगे तो लाभ आप को मिलेगा। हम तो इस का समर्थन कर के नुकसान में रहेंगे क्योंकि जब आप उन के लिये काम करेंगे तो सब वोट वे आप को देंगे। आप उन के वोट लेना चाहते हैं और हम को मारना चाहते हैं तो उन गरीबों को इस को मान कर जिन्दा कर दें। हमें वोट मिले या न मिले, हम को उस का कोई गम नहीं है, लेकिन हमारी लाश पर भी उन का फायदा हो तो हम आप की जय जयकार करेंगे और फिर हम को कोई गम नहीं रहेगा।

श्री डी० हीराचन्द (तमिलनाडु) : उपसभापति महोदय, मैं आप का आभारी हूं कि आप ने मुझे इस बिल पर बोलने के लिये बुलाया है। श्री धाबे जी जो रूरल डेवलपमेंट बिल यहां पर ला रहे हैं यह सचमुच में एक सराहनीय कार्य है। इस को सब का समर्थन मिलना चाहिए। जैसाकि अभी यादव जी ने कहा है कि क्यों इस को सब का समर्थन मिलना चाहिए। मैं एक ऐसे प्रदेश से आ रहा हूं–तमिलनाडु से– कि जहां पर काफी तादाद में गरीब देहाती जनता है और मैं यहां पर यह कहना चाहूंगा कि हमारी सरकार का मुख्य लक्ष्य यह है कि अगर देहात सुधरेगा, देहात प्रगति करेगा, देहाती लोग उन्नति करेंगे तो देश अपने आप ऊंचा उठ सकता है। आप को शायद मालूम होगा कि अभी-अभी स्वतंत्रता दिवस पर हमारे मुख्य मंत्री ने गांव के लोगों के लिये काफी योजनायें दी हैं।

I quote:

"Gift of farm lands for agricultural workers below povertyline; free electricity; flat ceiling on power rates for farmers; unemployment allowance; higher payment for graduates."

मतलब यह कि जो पावर्टी लाइन के नीचे के किसान हैं उनको 12 पैसे पर बिजली दी जाती थी, इस प्रोग्राम में उनको अब मुफ्त बिजली दी जाएगी। गांवों के अन्दर जो पावर्टी लाइन के नीचे के गरीब लोग हैं उनके घरों के अन्दर अब तक बिजली नहीं थी, उनको खाना खाने के लिए सड़क की बिजली में जाना पड़ता था, अब उनको भी मुफ्त बिजली दी जाएगी। जो गरीब लोग हैं, जिनके पास रहने के लिए जमीन नहीं है और खेती करने के लिए जमीन नहीं है, उनको जमीन दी जाएगी और उनको मकान बनाने के लिए जमीन दी जाएगी। ये सब जितनी स्कीमें हैं जो स्वतंत्रता दिवस के असर पर हमारे मुख्य मंत्री जी ने ऐनाउंस की हैं, उनसे गरीबों का भला हो रहा है।

इनके अलावा भी हमारे मुख्य मंत्री, जैसा कि आपको मालूम होगा, प्रधान मंत्री के 20 सूत्री कार्यक्रम को पूरी जागरूकता तथा लगन से हमारे स्टेट में इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। शायद यह बात आपसे छिपी नहीं है। हम लोगों ने तमिलनाडु में जितने काम किए हैं, मेरा सुझाव है कि भारत के जितने भी प्रांत हैं, सब में यह स्कीमें चलाई जाए। हम लोगों ने अभी-अभी एक सेल्फ-सफिशियेंट स्कीम को पूरा किया है। इस स्कीम के दौरान हर छोटे से छोटे गांव को बेसिक सुविधाएं मिली है। ऐसा कोई गांव नहीं है जहां पीने का पानी, ऐजुकेशन, स्वास्थ्य, दवादारू के लिए अस्पताल, पढ़ने के लिए स्कूल,

[श्री डी० हीराचन्द]

सड़कों आदि की व्यवस्था हम लोगों ने नहीं की हो। अगले साल प्रोटेक्टेड वाटर स्कीम को इंप्लीमेंट किया गया है। मेरा तो सुझाव है कि एक फेज्ड प्रोग्राम जो हमने तीन चार साल चलाया था, वैसे ही चलाने के लिए गाइडलाइन आप सभी प्रान्तों को दीजिए। पिछले साल मैंने एक प्रश्न यहां पर पूछा था कि देहात के अन्दर हरिजन लोगों को अनेक तकलीफों का सामना करना पड़ता है। उनके यहां कोई मर जाता है तो उनको ले जाकर दफनाने के लिए जमीन नहीं है। अगर जमीन है तो वहां जाने के लिए रास्ता नहीं है। हमारे यहां उनको श्मशान भूमि दी गई हैं और वहां जाने के लिए भी सड़कें दी गई हैं। उस सवाल के जवाब में कहा गया है कि भारत के अन्दर कहीं भी ऐसी स्कीम नहीं है, सिर्फ तमिलनाडु में है। तो मेरा सुझाव है कि जो सेल्फ-सफिशियेंट स्कीम है, जो हमने पिछले साल पूरी की है, इसको अन्य राज्यों में लागू करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट गाइडलाइन जारी करे। बेसिक नीड्स सब लोगों को मिलें। मेरा ख्याल है कि धाबे जी के इस प्रस्ताव में भी यही भावना है कि एक सेंट्रल रूरल वैल्फेयर फंड बनाया जाए क्योंकि स्टेटों के पास रिसोर्सेज नहीं होते हैं, वे चाहते हुए भी काम नही कर सकते हैं। तो एक सेंट्रल रूरल डेवलपमेंट फंड बनाया जाए तो उसके माध्यम से काफी सहायता मांग के लोगों को मिल सकती है। अतः मेरी आपके द्वारा सेंट्रल गवर्नमेंट से प्रार्थना है कि न सिर्फ यह देखा जाए कि वह बिल धाबे जी की तरफ से लाया गया है, इसकी रूलिंग पार्टी या अपोजिशन का ध्यान न देते हुए, सब को इसका समर्थन करना चाहिए।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूं।

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धर्मवीर) : उपसभापति महोदय, हमारे सम्मानित सदस्य श्री एस० डब्लू० धाबे, जिन्होंने पिछले गैर सरकारी दिवस पर एक विधेयक प्रस्तुत किया था जिसमें वह चाहते हैं कि इस बिल द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने वाले खेतिहर मजदूरों के लिये एक कल्याणकारी कोष निधि की स्थापना हो, जिनके द्वारा उनके जीवन स्तर को उठाने के लिये कार्यक्रम योजनाबद्ध तरीके से हो, साथ ही साथ उसके पीछे उनको सरकारी वैधानिक शक्ति मिलती रहे। मैं माननीय सदस्य श्री एस० डब्लू० धाबे के अतिरिक्त श्री रामानन्द यादव, श्री चतुरानन मिश्र, श्री नन्दकिशोर भट्ट, श्री जोसेफ, श्री सत्यपाल मलिक, श्री विश्व गोस्वामी, श्री हुक्मदेव नारायण यादव तथा श्री हीराचन्द का बहुत आभारी हूं कि उन्होंने इस महत्वपूर्ण विषय पर, जो विधेयक प्रस्तुत किया गया, उन पर उन्होंने अपने बहुमूल्य सुझाव दिये हैं जो सचमुच विचाराणीय हैं और उन पर गम्भीरता से विचार किया जाना चाहिये। इन श्रमिकों में कृषि श्रमिक भी शामिल हैं जो राष्ट्रीय आय और अर्थ-व्यवस्था में बहुत योगदान देते हैं मगर स्वयं गरीबी, अज्ञानता, सामाजिक व आर्थिक पिछड़ेपन के माहौल में रह रहे हैं। मैं अन्य सदस्यों को भी खासकर श्री रामानन्द यादव, श्री चतुरानन मिश्र और अन्यों को भी धन्यवाद देता हूं जिन्होंने वाद-विवाद में भाग लेकर विभिन्न वर्गों के असंगठित ग्रामीण श्रमिकों के कामकाज और रहन-सहन की दशा पर प्रकाश डाला है। मैं उनकी धारणा का स्वागत करता हूं कि केन्द्र और राज्य सरकारों के द्वारा चलाई गई कुछ योजनाओं और

कार्यक्रमों का फायदा हो सकता है, ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले कई लाख लोगों को उस सीमा तक नहीं मिला है जिसकी आशा हमें थी। कुछ क्रॉतिकारी कदम उठाने की आवश्यकता है ताकि धन कमाने वाले ये श्रमिक भी लाभ उठा सकें और देश के विकास कार्यों में भाग ले सकें। मैं उनकी ऐसी धारणा और विचारों तथा ग्रामीण श्रमिकों को दुर्दशा के बारे में उनकी गहरी चिन्ता को भी समझता हूं।

फिर भी, माननीय सदस्य श्री धाबे जी और अन्यों द्वारा दिये गये कुछ विशिष्ट सुझावों का उत्तर देने से पहले मैं यह बताना चाहूंगा कि ग्रामीण गरीबों को सामाजिक व आर्थिक रूप से ऊपर उठाने तथा उनकी उन्नति के लिये केन्द्रीय सरकार ने क्या किया है।

मैं नये 20 सूत्री कार्यक्रम से अपनी बात शुरू करना चाहता हूं। वह कार्यक्रम छठी पंचवर्षीय योजना का सार तत्व हैं। यह कार्यक्रम गरीब, कमजोर तथा पददलित लोगों के लिए भी आशा की किरण है। यह मात्र एक रहस्यमय घोषणा नहीं हैं। मगर इस कार्यक्रम की तहत योजनाकारों तथा प्रशासकों को स्पष्ट निर्देश दिये गये हैं कि ग्रामीण गरीबों को फायदा पहुंचाने तथा उन्हें सामाजिक व आर्थिक रूप से ऊपर उठाने के लिये निर्धारित समय-सीमा के भीतर कुछ कार्यक्रम बना कर उन्हे लागू किया जाए। नए 20-सूत्री कार्यक्रम का उद्देश्य भूमिहीनों को भूमि, गृहहीन लोगों को निवास स्थान, बेरोजगार और अल्प रोजगार वालों को रोजगार, बीमार लोगों को चिकित्सा सहायता तथा प्यासे लोगों को जल प्रदान करना है।

इसका उद्देश्य उन पुरानी बुराइयो और कुप्रथाओं जैसे कि बंधुआ श्रम पद्धति, जाति-प्रथा और दहेज प्रथा को दूर करना है जिन्होंने अनेक पुश्तों से ग्रामीण जीवन और अर्थ-व्यवस्था पर अपना जादू डाल रखा है। यह कार्यक्रम ग्रामीण समाज के उन वर्गों, जो सबसे अधिक गरीब तथा सबसे अधिक कमजोर हैं और जिनका सबसे अधिक शोषण होता है अर्थात् अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन-जाति, के सामाजिक-आर्थिक विकास और उन्नति के लिए कतिपय उपाय करने हेतु विशेष निर्देश प्रदान करता है।

यह कार्यक्रम एक और अधिक उत्पादन और उत्पादकता के लिए आह्वान करता है ताकि राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था की नींव को मजबूत किया जा सके और दूसरी ओर गरीब, कमजोर तथा पद-दलितों को सामाजिक न्याय प्रदान करने के लिए वस्तुओं तथा सेवाओं के समान वितरण के लिए आह्वान करता है।

उपसभाध्यक्ष (डा० (श्रीमती) सरोजनी महिषी) पीठासीन हुई।

इस कार्यक्रम का उद्देश्य टी० बी०, अंधापन और कोढ़ को समाप्त करना है और इसका उद्देश्य जनसंख्या नियंत्रण तथा परिवार कल्याण के लिए विशेष उपायों द्वारा प्रत्येक घराने में प्रसन्नता और खुशी प्रदान करना है। इस कार्यक्रम में महिलाओं, दूध पिलाने वाली माताओं तथा बच्चों की विशेष देखरेख, उनके संरक्षण तथा विकास के कार्यक्रम पर विशेष जोर दिया गया है।

यह कार्यक्रम गंदी बस्तियों, अधिक भीड़-भाड़ को दूर करने तथा पर्यावरण और परिस्थिति संबंधी सन्तुलन बनाये रखने और उसकी रक्षा करने के लिए निदेश प्रदान करता है जो लोगो के स्वास्थ्य तथा उनकी खुशी के लिए बहुत आवश्यक है। हमने ग्रामीण श्रमिक दल

[श्री धर्मवीर]

की उस श्रेणी के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए, जो कि अधिकांशत: गरीबी की रेखा से नीचे रहते हैं, कुछ विशेष उपाय प्रारम्भ किये हैं। एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम का उद्देश्य उन लक्ष्य ग्रुप के पता लगाए गए परिवारों को, जिनकी आय 3,500 रु० प्रति वर्ष से कम है, सहायता प्रदान करना है ताकि उनकी आय में गरीबी की रेखा से ऊपर के स्तर तक वृद्धि की जा सके। लक्ष्य ग्रुप में ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबों में भी सबसे अधिक गरीब होते हैं अर्थात् अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन-जाति, कृषि मजदूर, ग्रामीण कारीगर आदि। यह सिर्फ व्यक्तिगत लाभानुभोगी कार्यक्रम नहीं है। इसका उद्देश्य ग्रामीण समुदाय का पूर्ण तथा एकीकृत विकास है। 31-3-84 की स्थिति के अनुसार इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 120.80 लाख परिवारों को लाया गया है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में जरूरत-मंदों के लिए अतिरिक्त रोजगार अवसरों को उत्पन्न करना तथा स्थायी सामाजिक संपत्ति सृजित करना भी है जो कि ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था को सीधे बढ़ावा देगी। एन० आर० ई० पी० के अन्तर्गत राज्यों, जिलों, ब्लाकों को खाद्यान्न, वित्त मंत्रालय तथा योजना आयोग के परामर्श से बनाये गये मानदण्डों के आधार पर दिये जाते हैं जिसके अन्तर्गत भूमि मजदूरों तथा सीमान्त किसानों को अधिक महत्व दिया जाता है तथा गरीबों को कम महत्व दिया जाता है। कार्यों के चुनाव में ऐसे कार्यों को वरीयता दी जा रही है जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन-जाति को सीधे लाभ पहुंचाएंगे। इन प्रयासों को दूसरे कार्यक्रम द्वारा भी अनुपूरित किया गया है जो कि ग्रामीण श्रमिक रोजगार गारन्टी कार्यक्रम के रूप में जाना जाता है जिसे 1983-84 में प्रारम्भ किया गया था। वह कार्यक्रम केवल ग्रामीण भूमिहीन श्रमिकों के लिए है। 31-3-84 की स्थिति के अनुसार राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत कुल 14220.6 लाख कार्य दिवस और ग्रामीण श्रमिक रोजगार गारन्टी कार्यक्रम के अन्तर्गत 53.05 लाख कार्य दिवस सृजित किये गये हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत बेरोजगारों के लिए रोजगार की व्यवस्था के साथ-साथ, कृषि तथा अन्य सार्वजनिक कार्यों के लिए, जिन्हें अनुसूचित नियोजन अधिसूचित किया गया है, न्यूनतम मजदूरी लागू करने के लिए कदम उठाये गये हैं। न्यूनतम मजदूरी दरों को लागू करना नये 20-सूत्री कार्यक्रम की मद संख्या-5 है। लगभग सभी राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों ने अब तक कृषि श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी निर्धारित कर दी है तथा उनमें संशोधन कर दिये हैं। कुछ राज्यों ने कृषि तथा अन्य श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी को महंगाई भत्ते से सम्बद्ध कर दिया है और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में 50 प्वाइन्टों की प्रत्येक वृद्धि पर वे दरों में संशोधन करते हैं। बिहार तथा गुजरात जैसे राज्यों ने न्यूनतम मजदूरी को लागू करने के लिए गहन अभियान शुरू करने हेतु भूमि श्रमिकों के लिए अलग निदेशालय स्थापित किये हैं। गुजरात सरकार ने भूमि तथा ग्रामीण श्रमिकों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए ग्रामीण श्रमिक कल्याण बोर्ड स्थापित किया है। उन्होंने 100 ग्रामीण श्रमिक कल्याण केन्द्र खोले हैं, जिनके माध्यम से वे बच्चों और प्रौढ़ व्यक्तियों के लिये बहुत उपयोगी कार्यात्मक तथा अनौपचारिक साक्षरता कार्यक्रम, कृषि श्रमिकों के बच्चों के प्रतिरक्षी-करण पोषण तथा मनोरंजन के लिए कार्यक्रम को कार्यान्वित

कर रहे हैं । कार्यक्रम को लगातार मानीटर तथा उसके मूल्यांकन के लिए हमारे प्रशासनिक प्रबंध के एक भाग के रूप में कृषि श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी के कार्यान्वियन के मौके पर गहन पुनरीक्षा के लिए श्रम मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी विभिन्न राज्यों तथा संघ राज्यों में जाते रहे हैं । बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में ऐसी पुनरीक्षा पहले ही की जा चुकी है । हमने मंत्रालय में अंतर-मंत्रालय समिति स्थापित की है जिसमें हमारे मंत्रालय, गृह मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय तथा योजना आयोग के प्रतिनिधि हैं । कृषि श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी के कार्यान्वियन तथा बंधुआ श्रमिकों के पुनर्वास की गति की पुनरीक्षा करने के लिए श्रम मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता में इस समिति की बैठकें नियमित रूप से होती है ।

जैसा कि आप जानते हैं कि छठी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी तथा बेरोजगारी को उत्तरोत्तर कम करना तथा उचित शिक्षा, संचार और संस्थागत कौशल के माध्यम से विकास प्रक्रिया में सभी वर्गों के लोगों का सक्रिय भाग लेने को बढ़ावा देना है । ग्रामीण व कृषि श्रमिकों के सामाजिक, आर्थिक विकास के विस्तार के लिए उठाये गये कदमों, जो ऊपर बताये गये हैं, के अतिरिक्त हमने ग्रामीण श्रमिकों के अब तक के असंगठित वर्गों तथा उप-वर्गों को संगठित करने तथा उनके प्रशिक्षण के लिये एक कार्यक्रम शुरू किया है । इस योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति तथा दूसरी पिछड़ी जातियों के संकेन्द्रण के मानदण्ड के आधार पर चुने जाने वाले ब्लाक के लिये एक अवैतनिक ग्रामीण आयोजकों का चयन, प्रशिक्षण तथा उनकी नियुक्ति शामिल है । यह एक ब्लाक स्कीम है जिसके लिये केन्द्र द्वारा पूरी धनराशि दी जाती है और इसे 1981–82 से राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है । ग्रामीण आयोजकों के कार्य ग्रामीण श्रमिकों को नागरिकों के रूप में उनके अधिकारों तथा कर्त्तव्यों के बारे में तथा ग्रामीण श्रमिकों को ट्रेड यूनियनों, सहकारी संस्थाओं या ऐसे अन्य संगठनों, जो उनके हित के लिये अच्छे समझे जाते हैं में स्वयं संगठित होने को प्रेरित करने के लिए संगठन की महत्ता के बारे में शिक्षा देना तथा उसमें विभिन्न कार्यकारी कानूनों, समाज कल्याण कानूनों तथा श्रम कल्याण कानूनों के बारे में जागृति उत्पन्न करना है ताकि वे संगठन के माध्यम से समाज में उचित स्थान प्राप्त कर सकें तथा विकास प्रक्रिया के कार्यक्रम में कारगर रूप से भाग ले सकें । प्रारम्भ में यह योजना 415 ब्लाकों में शुरू की गई थी जिसे अब 1984–85 के वित्तीय वर्ष के शुरू होने से 15 राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों के 1000 ब्लाकों में लागू किया जा चुका है । इसकी तुलना में, यह सूचित किया गया है कि अभी तक 470 आयोजकों का चयन हो चुका है । उनमें से अधिकांश को केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा प्रशिक्षण तथा रोजगार दिया गया है । महानिदेशक, श्रम कल्याण तथा केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड के निदेशक सहित एक संयुक्त टीम ब्लाक स्तर पर योजना के कार्यकरण की पुनरीक्षा कर रही है । अब तक इस प्रकार की पुनरीक्षा पांच राज्यों अर्थात् उड़ीसा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में पूरी की जा चुकी है । कृषि श्रमिकों के लिए एक केन्द्रीय विधान बनाने का प्रस्ताव, जैसा कि श्री धाबे

[श्री धर्मवीर]

जी और अन्य सदस्यों ने सुझाव दिया है, काफी समय से हमारे विचाराधीन है। वास्तव में श्रम मंत्रालय में असंगठित ग्रामीण श्रमिक संबंधी केन्द्रीय स्थाई समिति की उप-समिति द्वारा तैयार किये गये अंतरिम मसौदा विधेयक को विभिन्न संबंधित पक्षों की टिप्पणी के लिए 1980 में परिचालित किया गया था। इस मामले पर पिछली बार अगस्त, 1981 में श्रम मंत्रियों के सम्मेलन में भी विचार-विमर्श किया गया। मगर एक राज्य से दूसरे राज्य में और यहां तक एक ही राज्य में विद्यमान विभिन्न दशाओं के कारण होने वाली अनेक कठिनाइयों की वजह से कोई निर्णय न लिया जा सका। इस मामले का गहन अध्ययन करने के लिए उक्त सम्मेलन ने एक कार्यकारी दल की नियुक्ति करने की सिफारिश की। श्रम मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता में इस कार्यकारी दल ने बैठक की और एक समान केन्द्रीय विधान बनाने के विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से विचार-विमर्श किया मगर इस दल में भी केन्द्रीय विधान बनाने की आवश्यकता पर सहमति नहीं हो सकी। अब हमने अन्तत: यह निर्णय लिया है कि कृषि श्रमिकों की कार्य दशाओं को विनियमित करने तथा उनके लिए कल्याण सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिए स्थानीय दशाओं को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकारें स्वयं ही उपयुक्त विधान बनायें जो कि 'केरल कृषि श्रमिक अधिनियम, 1974' तथा उन्हें पहले ही परिचालित केन्द्रीय विधेयक के मसौदे आदि के अनुरूप हो। सभी राज्य सरकारों, संघ राज्य क्षेत्रों को तदनुसार सलाह दी गई है। इसलिये यह कहना उचित नही होगा कि हम कृषि श्रमिकों के लिए एक विधान बनाने की धारणा के खिलाफ है या उसका विरोध करते हैं। हम केवल यह चाहते हैं कि एक केन्द्रीय विधान के बदले ऐसा विधान राज्य स्तर पर बनाया जाये जिसमें स्थानीय तथा क्षेत्रीय दशाओं का ध्यान रखा गया हो ताकि वे वैधानिक उपबन्ध व्यवहार्थ, वास्तविक और क्षेत्रों में लागू करने योग्य हो। हमने ग्रामीण श्रमिकों के लिये शिक्षा और अभिनवीकरण कार्यक्रम के एक भाग के रूप में असंगठित ग्रामीण श्रमिको के संबंध में जनवरी, 1984 में एक राष्ट्रीय सेमीनार का आयोजन किया। इस चार दिवसीय सेमीनार में ग्रामीण श्रमिकों को अब तक की गई श्रेणियों और उप-श्रेणियों के संगठन के लिये सही नीति और प्रणाली तैयार करने की कोशिश की गई। इस सैमीनार में शिक्षाविदों, अनुसंधानकर्ताओं, केन्द्र और राज्य सरकारों, अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, योजना आयोग के प्रतिनिधियों, स्वैच्छिक एजेन्सियों, सामाजिक कार्यदलों और बुद्धिजीवियों ने भाग लिया। इस सेमीनार को सात तकनीकी सत्रों में बांटा गया था और चार दिवसीय विचार-विमर्श के पश्चात कई लाभकारी सिफारिशें की गई जो सभी संबंधित पक्षों को आवश्यक अनुवर्ती कार्रवाई करने के लिये भेज दी गई। जैसे कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि इस संबंध में केन्द्रीय विधान बनाने की दिशा में केवल ग्रामीण श्रमिको की खेतिहर मजदूरों की दशाओं के बारे में किसी प्रकार का अध्ययन नहीं हुआ। मैंने जो निवेदन किया कि आप यहां से शुरुआत कर सकते हैं कि इस प्रकार से जो नेशनल सेमीनार का आयोजन किया गया था उसमें जो विचार-विमर्श हुआ है उसमें और उसके बाद यह स्पष्ट होता है कि हमारी नीति बहुत साफ है कि हम जल्दी से जल्दी केन्द्र के स्तर पर इन समस्याओं को समझते हुए राज्य सरकारों के माध्यम

से श्रमिकों की कल्याणकारी योजनाओं को हम कार्यान्वित कर सकें। माननीय उपसभाध्यक्ष महोदया, जैसे कि श्री धाबे जो ने अपने भाषण में कहा था कि अभी तक कोई सर्वे नहीं हुआ। अभी तक लेबर ब्यूरो के द्वारा, श्रम ब्यूरो नामक अपने सम्बद्ध कार्यालय के तहत 1950-51, 1956-57, 1964-65 और 1974-75 में चार सर्वेक्षण करवाये हैं।

SHRI S. W. DHABE: But no survey is made about housing for the rural poor.

श्री धर्मवीर : इस के बारे में मैं आपसे अलग बात कर के विचार दूंगा लेकिन आपने कहा था चूंकि इनके बारे में श्रमिकों की जो स्थिति है, हालत है जो गांवों में है उसके बारे में कोई स्टडी कंडक्ट नहीं हुई उस पर मैंने कहा कि हम बराबर इस दिशा में प्रयत्नशील है। स्टडी कंडक्ट करवाते है, सेमीनार कंडक्ट करते हैं। श्रम [illegible]यों के सम्मेलन में इस पर विस्तार से चर्चा हुई। जैसे कि मैंने निवेदन किया क्योंकि राज्यों में विविधताओं के कारण और वहां की परिस्थितियों में अन्तर होने के कारण श्रमिकों के स्वयं के संस्कारों उनके कार्यक्रमों और पद्धतियों के अन्तर होने के कारण एक सेन्ट्रल लेजिस्लेशन केन्द्रीय विधान बनाना संभव नहीं है क्योंकि राज्य सरकारें एक अप्रोप्रियेट अथारिटी होती है सरकारें होती हैं जिनके माध्यम से हम इन कानूनों को श्रमिकों के हितकारी कानूनों को स्वीकार करते हैं तथा राज्य सरकारों को निर्देश दिया जाता है कि वहां वे अपने स्तर पर श्रमिकों के कल्याण के लिये यह कारगर कदम उठायें जिससे उनको लाभ हो सके। मैं इसके अलावा अपनी बात समाप्त करने से पूर्व श्री धाबे जी और अन्य सदस्यों को विश्वास दिलाना चाहूंगा जिन्होंने इस बहस में भाग लिया है कि हम ग्रामीण असंगठित श्रमिकों के विभिन्न वर्गों की काम काज तथा रहन सहन की दशाओं के बारे में पूरी तरह से सचेत और चिन्तित हैं। हम जानते हैं और आप में बहुतों को भी इस बात की जानकारी है कि हमारे विकास कार्यक्रमों के लाभ उनतक नहीं पहुंच पाते जिसका मुख्य कारण एक ओर उनकी अज्ञानता निरक्षरता, और सामाजिक, आर्थिक पिछड़ापन और किसी प्रकार के उपयुक्त सक्षम संगठन की कमी और दूसरी ओर बिचौलियों द्वारा ठीक तरह से काम न करने के कारण हमने इन दोनों के विरुद्ध कुछ ठोस कदम उठाये हैं। जैसे मैंने पहले उल्लेख किया है छठी पंचवर्षीय योजना के अंत तक 1,000 ब्लाकों में 1000 आयोजको आर्गेनाइजर्स को हम ट्रेंड कर के भेज रहे है ताकि वे इनको अपने अधिकारों के प्रति जानकारी करा सके साथ ही साथ बिचौलियों और समाज में जो इनकी प्रगति के मार्ग में बाधक हैं उनके प्रति इनको सचेत कर सकें। इसी प्रकार से हम ने बीडी के उद्योग में लगे श्रमिको के लिये जिनकी संख्या 50 लाख है सहकारी समितियों को गठित करने के लिये ताकि उनका शोषण न हो इस बारें में भी हमने एक अवैतनिक सलाहकार नियुक्त किया हैं। और उन्होंने अपनी रूपरेखा, अपनी स्टडी केन्द्र को दे दी हैं इस पर हम विचार कर रहे हैं। हमारे कुछ सम्माननीय सदस्यों ने इस पर हमारा ध्यान आकृष्ट किया, जिसमें कि मैं उनकी राय से अपने को अलग नहीं कर पाता हूं कि जहां तक मौजूदा परिस्थिति में उनकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति हैं वह शोचनीय हैं। लेकिन मैं यहां उनसे स्वतः अलग होना चाहता हूं जब वह कहते हैं कि एकदम से कोई सुधार नहीं हुआ हैं। तो यह मैं मानने को तैयार नहीं हूं। स्वराज्य के बाद और स्वराज्य के पूर्व की दशाओं

[श्री धर्मवीर]

के बारें में एक बहुत निष्पक्ष विश्लेषण करना चाहिये । अभी हुक्मदेव नारायण यादव जी ने जिस प्रकार से एक मार्मिक चित्रण चित्रित किया, हो सकता है कि यह स्थिति स्वराज्य के पहले हो, या हो सकता है कि इस देश के कुछ क्षेत्रों में अभी यह स्थिति हो लेकिन उस स्थिति से, इतने दिनों के बाद, इतनी योजनाओं के सफल कार्यान्वयन के बाद इसमें कोई संदेह नहीं है कि ताकत प्राप्त हुई है। ग्रामीण स्तर पर प्रत्येक स्तर के लोगों के जीवन में सुधार आया है। हम मानते है कि वह सुधार अपेक्षाकृत इतना नहीं है जितनी हम आशा करते है लेकिन यह कहना उचित नहीं है कि एकदम सुधार नही आया है । सुधार आया है लेकिन उसमें और अधिक तादाद लाने का आवश्यकता है और उसमें तादाद लाने के लिये इसमें कोई संदेह नहीं है कि एक ही बात हमारे बाधा के रूप में आता है और वह बाधा ग्रामीण मजदूरों का असंगठित होना है । ये असंगठित होने की वजह से अपनी मांगों के बारें में सजग नही हैं और न अपने अधिकारों के प्रति सजग हैं । इसी लिये सरकार ने अपनी तरफ से ब्लाक आर्गेनाइजर का एपाइंटमेंट करके उनको ट्रेनिंग दे करके, इन योग्य बना रही है ताकि उनमें जागरूकता और जागृति पैदा हो । वास्तव में यह कार्य ट्रेडयूनियन्स और जो श्रमिकों के बीच में काम करने वाला संस्थायें है, उनका है । लेकिन मुझे कहने में कोई आपत्ति नही है कि ये जो ट्रेड यूनियन्स के हमारे नेतागण है ये भी दूसरी ओर संगठित क्षेत्रों में काम करने में दिलचस्पी रखते है। उनमें वह भावना नहीं है कि वे असंगठित क्षेत्रों में देहातों में और इस देश के दूरवर्ती इलाकों में जा करके श्रमिकों का संगठन करें तथा उनको सही मार्ग निर्देश दे सकें । वे अपना सारा समय, जो संगठित क्षेत्र है उसी में काम करके लगाते हैं ।

महोदया, मैं आपको बताऊं कि इस देश के अंदर 10 प्रतिशत लोग संगठित क्षेत्रों में है लेकिन 90 प्रतिशत इस देश के जो श्रमिक हैं, लेबर फोर्स है, वे देहातों में है, असंगठित है, उनका आर्गेनाइजेशन नहीं है। इसी वजह से जो उनकी स्थिति है उसमें पर्याप्त सुधार नहीं हो पाता है, इसके अतिरिक्त भी हमारी जो योजनायें हैं चाहे वह एन० आर० ई० पी० का प्रोग्राम हो, चाहे आई० आर० डी० पी० का प्रोग्राम हो, चाहे अनइम्प्लायमेंट गारंटी प्रोग्राम हो, इनके अंतर्गत इस देश के गरीबों के जीवन स्तर को उठाने के लिए बहुत मत्वपूर्ण कदम उठाये गये हैं जिसकी सराहना हमारे हुक्मदेव नारायण यादव जी ने भी की है । मैं उनकी बात से इतिफाक करता हूं कि इस कार्यक्रम का अगर पूर्णतया कार्यान्वयन हो जाये तो जादू का सा असर हो सकता है । इतने क्रांतिकारी और लाभकारी कार्यक्रम जो हमारी प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने दिये हैं, इतिहास की अर्थ-व्यवस्था के अंतर्गत ऐसे उदाहरण मिलने मुश्किल हैं । इस देश के गरीबों को उठाने के लिए एक योजनाबद्ध तरीके से जो कार्यक्रम दिये हैं, उनका किस प्रकार से कार्यान्वयन हो यह हमारे लिए चिंता का विषय है। 1980 में जो उन्होंने नये बीस सूत्री कार्यक्रम की घोषणा की थी, पिछले 5 वर्षों के अनुभव से और इन 4 वर्षों के अन्दर जो हमने व्यवहार में देखा है उसमें पाया है कि इसमें बहुत कुछ कमियां रह गयी है उसमें हम पूरा अधिकारियों पर, कर्मचारियों पर आश्रित होकर काम कर पाए, पब्लिक इन्वालवमेंट नहीं हो पाया । मैंने अपने आप से समझा है कि इन कार्यक्रमों का प्रभाव तभी संभव हो सकता है जबकि इनमें सार्वजनिक जीवन

के लोग, पब्लिक लाइफ के लोग भी इन्वाल्व किये जायें हालांकि बीस सूत्री कार्यक्रम की जो समितियां हैं उनमें पब्लिक लाइफ के लोगों, स्थानीय विधायकों तथा कुछ और सदस्यों को शामिल किया गया है लेकिन और भी तरीकों से जनता में जागरूकता लाने के लिए उनका कार्यक्रम है । गरीबों का यह कार्यक्रम नहीं है बल्कि यह देश के गरीबों को उठाने का कार्यक्रम है । अगर देश के गरीब नहीं उठते तो यह देश नही उठता है । इस देश के श्रमिक अगर मजबूत नहीं होते हैं उनके बाजू में, बांह में ताकत नहीं आती है तो इस देश का उत्पादन नही बढ़ता है और उत्पाद नही बढ़ता है तो हम देश को कैसे आगे ले जा पाएंगे । इसलिए आवश्यकता है कि इस कार्यक्रम को सभी लोग स्वीकार करें कि यह राष्ट्रीय कार्यक्रम है और राष्ट्रीय कार्यक्रम होने के नाते सबकी दिलचस्पी इसमें होनी चाहिए । अभी बहुत सी सामाजिक कुप्रथाएं और विचार-धाराएं हैं जिनसे भी हमें संघर्ष करना है जिनकी श्री हुक्मदेव नारायण यादव जी ने मार्मिक शब्दों में व्याख्या की है । आज समूचे देश की समाजिक व्यवस्था को परिवर्तित करने की आवश्यकता है । जब तक समाज के विचारों में परिवर्तन नहीं आएगा, यह चाहे डा० लोहिया का समाजवाद हो, या हमारा हो, या कोई भी गरीबी का कार्यक्रम हो, वह उतना कामयाब या सफलतापूर्वक नही चल सकता । इसलिए समाज के विचारों में परिवर्तन लाना इस बदलते हुए युग में—अब यह बात स्पष्ट है कि गरीबों को ज्यादा दिन तक दबा नही सकते, श्रमिकों का शोषण नही कर सकते । श्रमिक और गरीब तथा निर्धन जाग चुका है और अपने अधिकारों के प्रति सजग हो चुका है और बराबर उसकी जाग्रति के लिए, उसके उत्थान के लिए जो राष्ट्रीय कार्यक्रम बनाए जा रहे हैं उसमें हम सब का योगदान होना आवश्यक है और उसके योगदान से ही सम्भव हो पाएगा कि हम देश में गरीबों और श्रमिकों के लिए कुछ कल्याणकारी कार्यक्रम बना सकें ।

श्री धाबे जी ने जो यह बिल प्रस्तुत किया है मैं उस बिल की भावनाओं का आदर करता हूं, लेकिन इस बिल के अन्दर वह मंशा जो वह चाहते हैं, वह उससे पूरी नहीं कर पाते क्योंकि उस बिल में कुछ कमियां हैं, जिन कमियों के आधार पर जो योजना है धाबे जी के मस्तिष्क में, वह पूरी नही हो पाती ।

अब उन्होंने कहा कि एक रूरल वैलफेयर फण्ड फार एग्रीकल्चरल लेबर एण्ड अदर रूरल वर्कर्ज का हो जाए, तो उसमें स्पष्ट व्याख्या नही है कि एग्रीकल्चरल वर्कर्ज में और रूरल वर्कर्ज में क्या फर्क है । यह आपको डिफरेंशेट करना पड़ेगा । जो खेतिहर मजदूर है और जो आर्टिजन है, उसमें फर्क—जैसे कि हुक्मदेव नारायण यादव जी ने कहा था कि बहुत से जो लोग सीमा के काश्तकार हैं, वह स्वयं अपना खेत जोतते भी हैं और उसके बाद मजदूरी भी करते हैं ।

तो इसलिए उसका प्रावधान उस बिल में नहीं है । दूसरे इस सेंसस के अनुसार, अकार्डिंग टु 1981 सेंसस करीब दो सौ मिलयन कैटेगरीज जो रूरल वर्कर्ज की हैं, जिसमें उनकी अलग-अलग समस्याएं हैं और उनकी अलग-अलग दिक्कतें हैं और उन दिक्कतों को दूर करने के लिए सिर्फ जो उन्होंने बिल में प्रोवीजन किया है एक करोड़ रुपये का, तो आप समझ सकते हैं कि रेकरिंग और नान-रेकरिंग में, दो सौ मिलियन वर्कर्ज के लिए एक करोड़ रुपया क्या होता है । तो एक करोड़ के माध्यम से इसका श्रीगणेश कर लेने से ही समझते हैं कि हमारा कार्यक्रम

[श्री धर्मवीर]

पूरा हो जाता है, तो मैं इससे सहमत नहीं हूं। इसके लिए योजनाबद्ध तरीके से श्रमिकों के कल्याण के लिए जो कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं, एन० आर० ई० पी०, आई० आर० डी० पी० और जो रूरल इम्पलायमेंट गारंटी प्रोग्राम है, उसमें आप सहयोग दें और वह कार्यक्रम अगर सफल होता है, तो ग्रामीणों को रोजगार और श्रम के अवसर भी मिलते हैं और उनका जीवन-स्तर भी ऊंचा उठता है। यहां तक कि इस प्रकार से कल्याणकारी फण्ड जो हैं और उसकी स्थापना हमारे विभाग ने श्रम मंत्रालय में बहुतों में किया है, आयरन और माइन्स और तमाम बीड़ी श्रमिकों के बीच में और डोलोमाइट में, और भी कई क्षेत्रों में जो खानों में काम करने वाले मजदूर हैं, उनके कल्याण के लिए वैलफेयर फण्ड अलग से है और उसकी कल्याण कारी योजनाएं भी चल रही हैं। तो यह एक प्रकार से कदम शुरू हुआ है।

तो इसके लिए सेंट्रल लेजिस्लेशन बनाना, यह उपयुक्त नही होगा, जैसा कि पहले भी आपसे निवेदन किया था कि यथास्थिति को देखते हुए---क्योंकि सारे देश में श्रमिकों की श्रेणियां और उप-श्रेणियां हैं और उनकी परिस्थितियां, उनकी समस्याएं अलग-अलग हैं, जो केन्द्र में एक लेजिस्लेशन के माध्यम से हम इस योजना को सफल नही कर सकते जब तक कि राज्यों में जो विभिन्न राज्य सरकारें हैं, वह वहां की पस्थितियों को देख कर, समझ कर और फिर अपने स्तर पर कोई कानून बनाएं, तो हम उसका स्वागत करेंगे।

मैं इन्हीं शब्दों के साथ उन माननीय सभी सदस्यों का आभारी हूं जिन्होने अपने बहुमूल्य सुझाव दिये हैं ऐसा नहीं कि हम बिल को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, तो उनके सुझावों को भी स्वीकार नहीं कर रहे हैं। उन्होंने जो सुझाव दिये हैं, उनका हम पूरा आदर करते हैं, उनको हमने विचार में रखा है और उसी आधार पर हम राज्य सरकारों को लिखेंगे कि वह श्रमिकों के कल्याण के लिए. अगर सम्भव है, तो इस प्रकार के कोषों की स्थापना करें, निधियों की स्थापना करें, या और कोई योजना, कार्यक्रम लागू करे, जिसका हम स्वागत करेंगे, लेकिन केन्द्रीय स्तर पर अभी वह स्थिति नही है कि हम एक कानून बना कर सारे श्रमिकों के लिए, उन तमाम कल्याणकारी योजनाओं को सम्मिलित और कार्यान्वित कर सकें, जिसको श्री धाबे जी करना चाहते हैं।

तो मैं उनके इस विचार और भावनाओं का आदर करते हुए, उनसे निवेदन करूंगा कि इस वक्त वह अपने इस बिल को वापिस ले लें और उन्होंने जो विचार दिये हैं और जो उनकी मंशा थी, उससे हम प्रभावित हुए हैं। सरकार ने उसको बड़े गौर से इस पर अपना नोट लिखने का विचार किया है और निकट भविष्य में हम अधिक से अधिक जो सुख-

4P.M. सुविधाएं श्रमिकों के कल्याण के लिए हो सकती हैं, करेंगे और यह बात तो कह ही सकते है कि हमारी जो लोक कल्याणकारी सरकार है उसके अंतर्गत हम किसी भी स्तर पर श्रमिकों का शोषण बर्दाश्त नही कर सकते। श्रमिकों के कल्याण के लिए हम काम करते हैं। इन शब्दों के साथ, मैं श्री धाबे जी से प्रार्थना करूंगा कि वे अपने बिल को वापसले लें।

SHRI S. W. DHABE (Maharashtra): Madam, Vice-Chairperson, it is not possible for me to withdraw the Bill for the simple reason that the Minister has stated that the baby is with the State Governments and a Central Legislation is not possible or desirable at the moment. This attitude of the Labour Ministry was discussed in

the National Conference of Rural Workers on 2-8-1984 and it related to two problems.

When Mr. Ravindra Verma was the Labour Minister a committee had been appointed. It was a standing committee for framing a labour legislation to improve the service conditions of rural workers. My friend Mr. Surjit who is not a Member now was the Chairman. After 1980 when this Government came to power, the standing labour committee made a recommendation in favour of an all India legislation on service conditions of rural labour. That also included the welfare aspect of the workers. The report was submitted about two years back. Questions were asked both in this House and in the Lok Sabha and from time to time reply was given by the Labour Minister that 'we are considering the matter'. Ultimately it was stated in last December or so that it was considered at the conference of the State Labour Ministers and the Government felt that they will not do it, but leave it to the State Governments. Same stand is taken here also. He said that the objective is good, the Bill is good, we have all the sympathies, we should stop exploitation, but we shall not do it. It is too late to say that the Central Government will not legislate on the labour matter. I am sure that the Hon'ble Labour Minister is aware of the ILO Convention 141. The ILO came to the conclusion after a series of conferences that it is not only for the welfare of the industrial workers of the world, who are now facing problems of computerisation and technology and retrenchment resulted from them but also for other unorganised workers. In the whole of Asia the largest sector of people who have not got the fruits of prosperity or development are the rural agricultural labour in various countries. Therefore, from 1975 onwards, the ILO took up the question of welfare of rural labour and passed the Convention that rural workers' organisations will be born in every democratic country and our Government adopted the ILO Convention in 1978 where it has been stated that the Government shall not interfere in the trade union affairs and they will promote welfare measures and encourage movements in this direction in the interest of rural labour. It is also stated therein that in order to promote the interests of rural workers legislative steps will be taken by the respective Governments. Now, Madam, the Indian Government is a party to it. The Convention is there. Instead of bringing forward a legislation, Government is giving lame excuses. I can understand it if it has no powers. Instead of that what is now being done is that it has opened a State sector in trade unions. I would like to tell them that to orgainse trade unions is not the function of the Government. This has been accepted even in the ILO Convention. The people are free to organise whatever type of organisation or trade union they want. But our Government, in utter defiance of the ILO Convention, is organising trade unions and you are wasting your resources to organise trade unions.

SHRI DHARMAVIR: No, no That is not a fact.

SHRI S. W. DHABE: Otherwise, what is workers' education these days? You are trying to organise trade unions only in the name of workers' education. If the State money is spent to organise the rural poor, then it is objectionable and objection is taken to it by all concerned. This is an important aspect. You are ready to spend money in one thousand blocks and you are not doing it and you have not done it, for the industrial workers. Why? Because you feel that the rural workers constitute an important sector for you, important from the point of view of elections.

SHRI DHARMAVIR: No, no.

SHRI S. W. DHABE: If it was not so, then you would not have embarked on such a scheme. The ILO Convention has been adopted by India and even at this stage I would like to request the honourable Minister not to enter the trade union field. We have already got a large number of trade unions. Therefore, kindly do not create a new sector in the trade union movement.

At this stage, Madam Vice-Chairman, I would like to point out one thing. He has said that the definition of rural labour is very vague. The definition of the term "rural labour", as given here in clause 1, directly speaks of a person engaged in agricultural labour and the other kinds of labour which have been contemplated here are as per the ILO Convention. It includes the small peasants and the marginal farmers and they are to be included in the definition of rural labour because they are all self-employed persons. What is the percentage of the labour of this kind in this country now? Madam, according to a survey conducted in 1976-77, two-fifths of the farmers possess land below one acre and they own only about two per cent of the total farm area in the country! One-fifth of the total number of farmers own land between 1 and 2.5 acres with a total share of less than 8 per cent of the farm area. The farmers owning between 2.5 to 10 acres constitute one-sixth of the total number of farmers and their total holding is less than 15 per cent. On the other hand, those owning more than ten acres constitute just ten per cent of the farmers, but they own more than 50 per cent of the total farm area! So, this is the picture of land-ownership structure in our country. A majority of the rural workers and a majority of the small farmers are self-employed persons. The idea of the Bill that I have moved is only to give some relief to the agricultural labourers. The Minister has stated that this should be done by the State Governments. I would like to point out that this is not the first Bill that the Government may have to pass for the welfare of the labour. Since 1939, we have been passing laws for the benefit of the labour. The Industrial Relations Act was passed in 1939 and again Industrial Disputes Act was pased in 1947. The Minimum Wages Act of 1948 is there. But the appropriate Government under this Act is the State Government though the Act is a Central one. Though the subject may be agriculture, the Act is a Central one and the machinery, the appropriate machinery, is the State Government. It is because in the Concurrent List it occurs and under the Minimum Wages Act, under section 8, a Central Advisory Committee is to be set up to maintain uniformity. Different States have different rates of wages. At least, under the provisions of the Minimum Wages Act, we have got a forum for ensuring uniformity in the emoluments. All the provisions are in the Concurrent List, Seventh Schedule, which speak, under items 23 and 24, of Social Security and Social Insurance employment and unemployment Welfare of labour, including conditions of work, provident funds, employers' liability, workmen's compensation, invalidity and old age pensions and maternity benefits. Therefore, the Central Government has got full powers to have a labour legislation for the welfare purpose, and it is directly covered by Entry No. 24. Therefore, the stand taken by the Minister that this should be done by the State Governments. I do not think, is logical and correct. He talked of rural employment programme and minimum wages. Sir, the object of this Bill is not employment. That is beside the point. The 20-Point Programme is an administrative measure for their amelioration. There are so many programmes, But it is not a welfare programme. A welfare programme, as I understand it is a labour welfare programmes is for specified items. What are the specified items?

He talked of bidi workers. It is rural labour. Take the cases of limestone, manganese, iron ore, and so on. There are labour welfare funds. These funds are created for specific items. Take medical facilities. Do you find it in the Twenty-Point Economic Programme? Housing? Yes. Supply of drinking water; Support for education of dependents—this is very important. In the coal and manganese areas we have provided scholorships for the poor families who cannot maintain them, or for the children of coal-miners. All these programmes are not covered at all by what we call the 20-Point Economic Programme. What I wanted to provide for was this. The most important operative part of this whole scheme is providing for a Central Committee and State Committees improvement of water supply, facilities for washing, employment facilities, and so on. These are not covered by the 20 Point Economic Programme—provision and improvement of educational facilities, improvement of standards of living and nutrition. It is there in one or two States. It is in Andhra. Perhaps it is in Karnataka also. In Tamil Nadu they provide mid-day meals. They should be provided nutrition. That is what is provided in this. It is not covered by the 20-Point Economic Programme. Amelioration of social conditions, housing and recreational facilities, etc. It is also provided in the Bill: provision and improvement of such other welfare measures as may be prescribed. Mahatma Gandhi said that the poorest of the poor should get relief first. We are not caring for five crore agricultural workers. We do not want to care for them. We are only caring for the urban sector. My friend, Mr. Bhatt, did not properly put it.

They got it because of their strength and organisation; it was not given by the Government of their own will... *(Interruptions)*

SHRI NAND KISHORE BHATT (Madhya Pradesh): I said that they should come forward and try to help the unorganised workers in the...

SHRI S. W. DHABE: I do not want to repeat what he has said. Mr. N. K. Bhatt's objection was that this Bill should not be accepted in principle. What he wanted to say was that this is a large section and we should not make a beginning. It is just like saying that because you are hungry and hundred other people are hungry, we cannot give you a small piece of bread. The only person who opposed this Bill was Shri Satya Pal Malik. He was speaking in the voice of the peasants. He is not interested in this Bill. He was saying that there are big problems before the country and, therefore, we should not do it. I am thankful to my friend Mr. Ramanand Yadav for supporting the Bill. I am also thankful to other Members including Mr. Nand Kishore Bhatt, Mr. Biswa Goswami, Mr. Heerachand and Mr. Hukmdeo Narayan Yadav who spoke on this Bill and supported this Bill. Though the Bill has got unanimous support of the House, I cannot understand the objections of the Minister that Central legislation is not possible. I would like to warn him humbly that already an organisation has been agitating for it for the last two months. If the welfare of the industrial workers and their service conditions were left to the State Governments, we would not have uniformity in service conditions. The Industrial Employment Standing Order of 1946 was passed when they were not organised. It was regarding their service conditions. Thereafter, many more Acts were passed because the degree of organisation was not a test. The test was whether the workers require relief. If you admit that this is one sector which is neglected and if you admit that this sector requires some relief, then I would like you to make an historic beginning. It would have been an historical beginning made by our Minister if he had brought forward a Bill. All the trade unions including the INTUC are unanimous on this point that we are

[Shri S. W. Dhabe]

not interested to leave the matter to the State Governments in order to pass a Bill. Some States may pass and some may not pass. Some have passed only for pension. They have no service conditions. Some have passed for unemployment benefit. Let us bring the rural workers at par with the industrial workers and give them the same benefits. A beginning may be made just now. In the course of time, after two or three generations, I think the rural workers will have the same standard as the industrial workers. With these words, I thank the whole House including the Minister for this. But it is not possible for me to withdraw the Bill as the Government has taken a stand that it is the responsibility of the State Governments.

SHRI DHARMAVIR: I want to explain two or three points which the hon. Member, Shri Dhabe, raised. Regarding the ILO Convention, it is given in Convention No. 141 about rural workers. It is too wide and too liberal and not suitable for our country We had debated about its feasibility in the Seminar on Rural Areas in January, 1984 and the Seminar found that this definition was unsuitable to our local conditions. The hon. Member mentioned about the uniform report of the Sub-Committee of the Central Standing Committee on Rural Organised Labour. It had gone into the question of a central legislation for agricultural labour. No doubt, the report of the Sub-Committee together with the Draft Bill was considered by the Labour Ministers Conference in 1981. It could not reach any consensus for any such legislation. As I have said, I have no personal grudge against formulating any central legislation. This is the decision of the aLbour Ministers' Conference on the report of the Central Standing Committee. Madam, most of the points which have been mentioned in the Bill by Mr. Dhabe like education, drinking water facilities, health, medical care are also covered under the new 20-point programme, which I have already explained in my earlier speech. Now, it is the State Governments which are really to implement all these programmes. And now adopting such a Bill will only be a duplication. And as I have already explained to administer all this, it requires huge funds in the rural areas and a huge army of establishment.... *(Interpretations)* Therefore, it is not possble at this stage to accept the Bill. And I again request Mr. Dhabe not to insist for a vote and he should withdraw it. And we are already thinking on the same lines to promote the conditions of the rural workers.

SHRI S. W. DHABE: I am not in a position to withdraw the Bill .

THE VICE-CHAIRMAN [DR. (SHRIMATI) SAROJINI MAHISHI]: The question is:

> "That the Bill to make provisions for financing measures for promoting the welfare of labour employed in agriculture and other rural occupations, be taken into consideration."

The motion was negatived.

THE VICE-CHAIRMAN [DR. (SHRIMATI) SAROJINI MAHISHI]: Now, we shall take up the next Bill. It is also by Mr. Dhabe.

AN HON. MEMBER: Where is the Minister?

SHRI DHARMAVIR: I am here.

THE BUDDHIST MARRIAGE VALIDATION BILL, 1981

SHRI S. W. DHABE (Maharashtra): Madam, I beg to move:

> "That the Bill to recognise and remove doubts as to the validity of inter-marriages solemnised in